# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेण्टस |
|---|---|---|
| सुशील मीणा पटवारी मानपुर पुत्र राजकुमार मीणा उम्र 31 वर्ष तत्कालीन पटवारी आमथला / किवरली जरिये तहसीलदार देलदर | | हेमेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील देलदर व अन्य – 3 |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956**

**राजस्व अपील संख्या 01 / 2022**

**दिनांक 06.06.2022**

## आदेश

अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राज़स्थान काश्तकारी अधिनयम 1956 के तहत निवेदन किया कि पटवार मण्डल आमथला के ग्राम कारौली में खाता संख्या 239 में खसरा संख्या 163 / 1, 164 / 1 रकबा 0.1347 हैक्टेयर, खाता संख्या 62 में खसरा नं. 360, 439, 442, 443, 446 से 449, 453 से 455, 469, 471, 472, 475, 476, 479, 481, 482 रकबा 5.007 हैक्टेयर में 1 / 24 हिस्सा, खाता संख्या 84 में खसरा न. 358, 359 रकबा 0.1011 हैक्टेयर में 1 / 72 हिस्सा भूमि खाता संख्या 88 में खसरा न. 478 रकबा 0.0506 हैक्टेयर में हिस्सा 1 / 72 व खाता संख्या 101 में खसरा संख्या 450 रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1 / 72 राजस्व रिकार्ड में जोरावर सिंह पुत्र जवार सिंह जाति राव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसी प्रकार पटवार मण्डल किवरली के ग्राम पांडुरी के खाता संख्या 36 में खसरा संख्या 261 से 276, 279 से 283 रकबा 14.5670 है. में हिस्सा 1 / 10 व खाता संख्या 39 में खसरा संख्या 294, 296, 299 रकबा 4.0464 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में जोरावर सिंह पुत्र जुआर सिंह जाति राव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जोरावर सिंह की फौत हो जाने पर दिनांक 04.04.2021 को हेमेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह द्वारा विरासतन ना.करण दर्ज करने हेतु अपीलार्थी को आवेदन प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करवाकर पेश किया गया जिसमें रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 को ही वारिस (उत्तराधिकारी) बताया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त शपथ के आधार पर विरासतन का ना.करण दर्ज किया गया। ग्राम कारोली में ना. संख्या 807 दिनांक 16.04.2021 को दर्ज किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आमथला द्वारा दिनांक 25.05.2021 को स्वीकृत किया गया व ग्राम पांडुरी में ना. संख्या 608 दिनांक 13.09.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत किवरली द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी की जानकारी में आया कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 की बहन चारू सिंह पुत्री जोरावर सिंह पटवारी आमथला से जमाबंदी की नकल लेने हेतु आवेदन करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा झुठा एवं गलत शपथ पत्र व आवेदन प्रस्तुत करके अपीलार्थी द्वारा विरासतन का ना.करण गलत दर्ज करवाया गया है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा अपनी माता कौशल सिंह पत्नी जोरावर सिंह व तीन पुत्रियां चारू सिंह पुत्री जोरावर सिंह, संध्या पुत्री जोरावर सिंह व भावना सिंह पुत्री जोरावर सिंह का नाम शपथ पत्र में द[illegible]करके झुठा शपथ पत्र पेश करके अपनी बहन व माता का नाम वंचित रखवा दिया रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा झुठा शपथ पत्र पेश करने से 04 जायज वारि[illegible] हो गये है। अतः उपर्युक्त वर्णित कारणो से नामान्तरकरण संख्या 80[illegible] 25.05.2021 ग्राम कारोली व नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 13.09.2021 ग्राम पांडुरी को निरस्त कर उनके स्थान पर रेस्पोडेंट्स संख्या 01 व रेस्पोडेंट्स संख्या 02 के साथ–साथ चारू सिंह पुत्री जोरावर सिंह, भावना सिंह पुत्री जोरावर सिंह , संध्या पुत्री जोरावर सिंह व कौशल सिंह पत्नी जोरावर सिंह जाति राव के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया गया। अपीलाण्ट की अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्टस को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल किए गए। रेस्पोडेन्टस ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:59 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंटस संख्या 03 व 04 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 हेमेन्द्र सिंह राव ने वारिसान के संबंध में झूठा शपथ पत्र देने के कारण उत्तराधिकारी के नामांतरणकरण में बहनों व माता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण क्रमशः नामांतरण संख्या 807 दिनांक 25.05.2021 व नामांतरण संख्या 608 दिनांक 13.09.2021 को खारिज करवाया जावें। रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि मृतक श्री जोरावर सिंह ने अपनी उक्त भूमि का तारीख 2.12.2015 को अपने जीवनकाल में नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा अधिकार पत्र रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपने हस्ताक्षर कर लिखकर दिया है जिसमें श्री जोरावर सिंह के मृत्यु के बाद उक्त जमीन का बंटवाडा किये जाने का उल्लेख है व उक्त जमीन खानदानी व पुश्तैनी है उसमें यदि श्रीमति कौशलसिंह पत्नि श्री जोरावरसिंह व जोरावर सिंह की तीनो पुत्रीयां चारूसिंह, संध्या व भावना सिंह अपना नाम दर्ज कराती है तो रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति पूर्व में भी नही थी और आज भी नही है और अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर श्रीमती कौशल सिंह धर्मपत्नि श्री जोरावरसिंह एवं चारूसिंह, भावना सिंह व संध्या रस्तोगी पुत्री श्री जोरावर सिंह का नाम भी रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 के साथ जोड़े जाने का निवेदन किया है। एक अन्य अपील संख्या 2/2022 में समान विवाद्य विषय होने से उस अपील को इस अपील संख्या 1/2022 में दिनांक 18.05.2022 को समेकित किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट की एवं रेस्पोडेण्टेस की बहस सुनी गई। उक्त बहस एवं दस्तावेजो के आधार पर पाया गया कि रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने भी अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है व रेस्पोडेंटस संख्या 3 व 4 ने भी अपने जवाब में उक्त नामान्तरण संख्या 807 दिनांक 25.05.2021 ग्राम कारोली व नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 13.09.2021 ग्राम पांडुरी को निरस्त करने को निवेदन किया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 807 दिनांक 25.05.2021 ग्राम कारोली व नामान्तरकरण संख्या 608 दिनांक 13.09.2021 ग्राम पांडुरी को निरस्त कर तहसीलदार देलदर को सही नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.6.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:59 IST
Reason: SelfAttested